कार्यालय प्रधान मुख्य वन संरक्षक, राजस्थान, जयपुर

क्रमांकः एफ /प्रमुवसं /राज/ प्रचार/ 519 दिनांक : 3–9–03

परिपत्र

विषय :– ग्राम्य वन संरक्षा एवं प्रबन्ध समितियों के लेखों का आंतरिक अंकेक्षण।

राज्य में विभिन्न राज्यादेशों के अन्तर्गत गठित की जा रही ग्राम्य वन संरक्षा एवं प्रबन्ध समितियों के लेखों के वार्षिक आंतरिक अंकेक्षण (Internal Audit) के लिए निम्न व्यवस्था की जाती है : –

1. प्रत्येक उप वन संरक्षक / मण्डल वन अधिकारी समिति से उसके लेखों का ऑडिट करने का औपचारिक अनुरोध पत्र प्राप्त होने पर अथवा वित्तीय वर्ष की समाप्ति के 30 दिवस पश्चात तक औपचारिक अनुरोध पत्र प्राप्त नहीं होने की स्थिति में, अपने विशिष्ट अथवा सामान्य लिखित आदेश के माध्यम से स्वयं अथवा सहायक वन संरक्षक / सहचारी क्षेत्रीय / क्षेत्रीय (समिति जिसमें कार्यक्षेत्र में अथवा नियंत्रणाधीन न हो) के माध्यम से अपने अधीन समितियों का वार्षिक अंकेक्षण (ऑडिट) करवायेंगे।
2. यह अंकेक्षण राज्यादेशों एवं समिति द्वारा सृजित उपनियमों के प्रकाश में किया जायेगा।
3. अंकेक्षक, समिति की सभी लेनदारी, देनदारी (यदि कोई हो) समिति के संव्यवहार, नकद राशि, प्रतिभूतियों आदि का परीक्षण करेगा व समिति की पूंजी, सम्पत्ति व दायित्वों का परीक्षण भी करेंगे।
4. उप वन संरक्षक/ मण्डल वन अधिकारी अथवा उसके द्वारा प्राधिकृत अंकेक्षण, अंकेक्षण हेतु समिति के लेखों, पंजिकाओं, प्रतिभूतियों, नकद राशि, दस्तावेजों व समिति की अन्य सम्पत्तियों की, जो समितियों की संरक्षा में हो, की जाचं कर सकेंगे। अंकेक्षक समिति के किसी भी पदाधिकारी को, जिसकी संरक्षा में उपर्युक्त सामग्री हो, को लिखित सूचना देकर बुला सकेगा तथा निर्धारित तिथि को रेकॉर्ड प्रस्तुत करने को कह सकेंगे।

5. समिति का प्रत्येक वर्तमान/ निवर्तमान पदाधिकारी/ सदस्य/ कर्मचारी / अभिकर्ता जिन्हें समिति के संव्यवहार की जानकारी हो, अंकेक्षण द्वारा चाही गई सूचना निर्धारित तिथि व स्थान पर अंकेक्षक को उपलब्ध करायेंगे।
6. यदि समिति के लेख व अन्य दस्तावेजात अंकेक्षणकी तिथि तक पूर्ण नहीं हो, तो अंकेक्षक उन्हें पूर्ण करने को कह सकेंगे व इसकी उचित व्यवस्था करेंगे।
7. उप वन संरक्षक / मण्डल वन अधिकारी / अधिकृत अंकेक्षक, अंकेक्षण उपरान्त इस आशय का, कि समिति के लेखे संतोषप्रद पाये गये हैं, एक प्रमाणपत्र जारी करेंगे।
8. उप वन संरक्षक/ मण्डल वन अधिकारी ऑडिट रिपोर्ट की प्रति समिति को प्रेषित करेंगे व ऑडिट में पाई गई कमियों / त्रुटियों / अनियमितताओं को ठीक करने के निर्देश (सही करने की विधि सहित) अध्यक्ष / सचिव को देंगे।

मुख्य वन संरक्षक,
विकास एवं साझा वन प्रबन्ध,
राजस्थान,जयपुर